

राजस्थान सरकार  
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएँ  
(महिला एवं बाल विकास विभाग)  
2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर

क्रमांक: एफ. 16(1)(78)सामान्य/आईसीडीएस/16/ जयपुर, दिनांक: 18-1-18  
13532-564

उप निदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त ।

विषय :- जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा बैठक आयोजित किये जाने बाबत।  
प्रसंग :- निदेशालय के पूर्व पत्रांक 106346-378 दिनांक 14.07.2017 एवं  
570-602 दिनांक 1.1.2018 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन, पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 6(34)प्रसु/अनु-3/2013 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राज्य/जिला/ब्लॉक/आंगनबाडी स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समितियों का गठन किया गया है। समिति गठन के आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। समिति गठन के उक्त आदेशों की प्रति समस्त जिला कलक्टर, जिला प्रमुख, महापौर एवं नगर निगम, अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका को भी प्रेषित करते हुए उनकी नियमित बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

विभागीय योजनाओं का सफल संचालन, प्रभावी मोनोट्रिंग, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा किया जाना आवश्यक है। इस हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आप प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित कमेटियों की जिला स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा बैठक की निर्धारित अवधि में नियमित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें तथा गत एक वर्ष में की गई बैठकों का कार्यवाही विवरण संयुक्त निदेशक (मोनोट्रिंग) मुख्यालय को सात दिवस में भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।

आयुक्त  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ. 16(1)(78)सामान्य/आईसीडीएस/16/ जयपुर, दिनांक: 18-1-18  
13565-869

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएँ .....।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप निदेशक (प्रशिक्षण)  
समेकित बाल विकास सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर